

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**फर्जी निवास प्रमाण पत्र से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी : फरार फार्मासिस्ट गिरफ्तार**

जशपुर (आरएनएस)। फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट की नौकरी करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्ष 2016 में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में जिला अस्पताल जशपुर में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर नियुक्ति निकली थी। उक्त पद हेतु जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य किया गया था। जिला अस्पताल जशपुर द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती हेतु टीम गठित कर अभ्यर्थियों की भर्ती की गई। भर्ती के पश्चात सभी चयनित अभ्यर्थी नौकरी करने लगे। कांसबेल थाना निवासी चन्द्र कुमार ने चौकी मनोरा थाना जशपुर में शिकायत करते हुए बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में से कई के निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। जिसके बाद जांच करने पर पता लगा कि तुलसी यादव, अफरोज मलिक खूटे, कुमारी शशि एडव. राधेश्याम कांत का निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। आरोपियों को 19 फरवरी 2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया गया था। पर आरोपी तुलसी कुमार यादव फरार हो गया था। फरार चल रहे 33 वर्षीय आरोपी तुलसी कुमार यादव के बारे में पुलिस को सूचना मिली कि वह चरखापारा चौकी बाकसामा जिला रायगढ़ स्थित अपने निवास में मौजूद हैं। पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया व उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

**पार्क में खेलते समय हुई थी करेंट से चिपककर मासूम की मौत**

रायपुर, 27 मार्च (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राखी थाना क्षेत्र इलाके के सेंट्रल पार्क की दीवाल में लगे पोल के करेंट से एक 10 साल की मासूम की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद मैकेनिक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना नवंबर 2021 की है। राखी थाने से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल पार्क सेक्टर-24 नवा रायपुर में करेंट मोना पाल उम्र 10 वर्ष 23 नवंबर 2021 को सेंट्रल पार्क की दीवाल में लगने से 10 साल की मासूम मोना पाल की मौत हो गई थी। सेंट्रल पार्क के आडोटोरियम के दीवाल में लगे बिजली के नाइट लैंप बाक्स जिसमें करेंट था। जिसे आरोपित विद्युत मैकेनिक मोहन लाल डीडी के द्वारा खुला छोड़कर दिया था। सुरक्षा का उपाय न कर और वहां लगे स्वयं की निगरानी नहीं की गई। घटना के बाद स्वजनों ने जमकर हंगामा किया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच बैठाई। घटना की विवेचना के पांच माह बाद पुलिस ने लापरवाही करने वाले मैकेनिक के उतर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

**पुलिस लाईन में पदस्थ आरक्षक की धारदार हथियार से की गई हत्या**

सुकुमा (आरएनएस)। जिले के कुकानार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोदरास में बीती रात करीब 02 बजे सुकुमा पुलिस लाईन में पदस्थ आरक्षक लखेश्वर नाग की धारदार हथियार से हत्या कर हत्यारे फरार हो गये। हालांकि घटनास्थल में किसी भी प्रकार का नकसली पर्चा पुलिस को नहीं मिला है। सूचना पर आज सुबह कुकानार के थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के साथ एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोदरास निवासी आरक्षक लखेश्वर नाग अपने गांव में आयोजित मेला में शामिल होने आया हुआ था। मेले से लौटते के दौरान अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियार से आरक्षक की हत्या कर दी। आरक्षक के हत्या के पीछे नक्सलियों के हाथ होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस घटना की पूरी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। घटनास्थल से नकसली पर्चा पुलिस को नहीं मिला है। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आरक्षक की हत्या नक्सलियों ने किया है या अन्य किसी ने, कैसे प्रथम दृष्टया नक्सलियों द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही जा रही है।

**कालेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी**

रायपुर (आरएनएस)। अगले महीने से होने वाले कालेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाएंगी इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद मंत्रालय में देर रात तक काम हुआ है और इसके बाद एक प्रस्ताव शनिवार को छत्तीसगढ़ के सीएम को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम मुंबई दौरे से लौटने के बाद आज या कल में विधिवत रूप से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के सता में काबिज कांग्रेस सरकार के युवा संगठन एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है तथा ऑनलाइन एजाम करवाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इस पर 1 से 2 दिन में फैसला देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम और



उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निर्देशों के बाद शुक्रवार को विभागीय अमला आनंद फानन में मंत्रालय पहुंचकर ऑनलाइन एजाम का प्रस्ताव तैयार किया है सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा का यह फैसला यूजीसी के ताजा ऋषभ के खिलाफ होगा यूजीसी ने इस साल के लिए ऑफलाइन परीक्षा लेने के निर्देश जारी किए थे 31 मार्च के बाद करीना कॉल की सारी पाठदंडियां दिया है 327, वाडे नं. 24, श्रीमम कॉलोनी स्टेटडिजिटल के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-21359 पृ.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चुनकर लिए जिम्मेदार ई-मेल- nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480

**मुम्बई और दिल्ली के क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा ले रहा सट्टेबाज गिरफ्तार**

टीवी, 2 मोबाइल, केलकुलेटर, ₹8000 नकद समेत दो लाख रुपये के सट्टे का हिसाब जब्त

प्रदेश के जिलों में लेकर महानगर दिल्ली, मुम्बई तक जुड़े क्रिकेट सट्टा के तार

रायगढ़। आईपीएल लीग 2022 के प्रारंभ होने के साथ ही क्रिकेट सट्टा खेलने वाले सक्रिय हो जाते हैं जिस पर कार्रवाई के लिये एसपी अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विशेषकर शहर में ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं जिसे लेकर एडशिनल एसपी लखन पटेल एवं सीएसपी योगेश कुमार पटेल द्वारा शहर के प्रभारियों को पुराने सक्रिय सट्टा-पट्टी के जरिए लाइव मैच पर सट्टा लगाने वालों को पकड़ कर कार्रवाई किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2022 के शाम कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर को उनके लगाये मुखबिर से सूचना मिली कि तुकारा चांदनी चौक में रहने वाला जुबेर अली नाम का व्यक्ति आईपीएल लीग के मुंबई इंडियन Vs दिल्ली कैपिटल क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल पर ग्राहकों से संपर्क कर रुपए हार जीत का सट्टा लिख रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली हमराह सहायक उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू, महिला प्रधान आरक्षक समुद्र रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा के साथ सुनियोजित तरीके से मौके पर जाकर सट्टा रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर जुबेर अली मोबाइल व टीवी एलईडी 80 इंच टीवी, 2 नग पावर स्पीड, 5 नग मोबाइल चार्जर, 1 केलकुलेटर, 4 नग



द्वारा आरोपी के घर पर 1 सैमसंग कंपनी का एलईडी 80 इंच टीवी, 2 नग पावर स्पीड, 5 नग मोबाइल चार्जर, 1 केलकुलेटर, 4 नग

मोबाइल स्टैंड, 2 मोबाइल (माइक्रोमैक्स कंपनी का क्रीपैड + सैमसंग कंपनी का टच मोबाइल) एवं नगदी रकम ₹8,000 तथा क्रिकेट सट्टा का हिसाब किताब लिखा हुआ एक पर्चा जिसमें ₹1,80,000 का हिसाब है जिन्हें गवाहों के समक्ष जम किया गया है। आरोपी जुबेर अली पिता जाकिर अली 30 साल निवासी तुकी पारा चांदनी चौक थाना कोतवाली रायगढ़ पृष्ठताछ में कई बड़े खाई वालों का नाम बताया है जिनमें दिल्ली और मुम्बई के लोग भी हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा शहर में सक्रिय हर एक सट्टा- लिखने वालों तथा बड़े खाईवालों पर कार्यवाही के निर्देश टीआईई मनीष नागर को दिया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली मुखबिरों के साथ अपने स्टाफ को भी बड़े खाईवालों की सूचनाएं एकत्रित करने लगाया गया है, जल्द ही क्रिकेट सट्टा पर और बड़ी कार्रवाई की जावेगी।

**धरमजयगढ़ के ग्राम खलबोरा में गांववालों के लोन रूपये में धोखाधड़ी कर फरार हुआ आरोपी**

ग्रामीणों की शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 26.03.2022 को थाना धरमजयगढ़ में आवेदिका सरस्वती यादव पति विजय यादव उम्र 28 वर्ष सा. खलबोरा एवं अन्य महिलाओं हस्ताक्षरित शिकायत पत्र जांच के लिये प्राप्त हुआ जांच पर आवेदिका एवं गांव के लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि वर्ष 2021 माह अगस्त - नवम्बर में गांव का धनसिंह अग्रिया पिता बलदेव अग्रिया के द्वारा Fincare Small Finanace Bank एवं Belstar Microfinance Limited धरमजयगढ़ की शाखा से लोन दिलवाने के नाम से आवेदिका एवं गांव के अन्य महिलाओं से लोन दिलवाने के नाम से फार्म भरवाकर लोन पास कराया जिसमें दोनो फाइनेंस बैंक से 30,000-30,000 कुल 60,000/- रूपये स्वीकृत होने पर धनसिंह अग्रिया के द्वारा 60,000 रूपये लोन को आहरण कर केवल 10,000 रूपये आवेदिका सरस्वती को दिया एवं शेष रूपये को अपने पास रखकर यह



बोला कि तुम लोग खर्च कर दोगे, लोन का रूपये मैं पटा दूंगा पर धनसिंह प्रति माह 1,840 रूपये के हिसाब से 4 बार किस्त रकम कुल 7,360 रूपये जमा किया। उसके बाद बाकी लोन राशि को जमा करना बंद कर दिया और 42,640 रूपये किरत जमा न कर गबन कर धोखाधड़ी कर धनसिंह जनवरी माह 2022 को गांव से फरार हो गया है। इसी प्रकार गांव की 27 महिलाओं से 17 लाख, 16 हजार रूपये लेकर धनसिंह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग गया है। थाना धरमजयगढ़ में आरोपी धनसिंह अग्रिया पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

**40 लीटर महुआ शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, मोटर सायकल पर कर रहा था शराब तस्करी**

अवेध गांजा और शराब पर सट्टिया पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा अवेध मादक पदार्थों की तस्करी पर मुखबिर लगाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज दिनांक 27.03.2022 के सुबह थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक ऑडिशा की ओर से मोटर सायकल के पीछे बोरी में शराब रखकर ग्राम बरपाली की ओर आ रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग पर ग्राम भ्रमण खाना हुए थाने के प्रधान आरक्षक अर्जुन पटेल को कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रधान आरक्षक अर्जुन पटेल द्वारा हमराह स्टाफ आरक्षक

टीकाराम पटेल, मोहन पटेल के साथ ग्राम बरपाली जाकर मेन रोड बरगद पेड़ के पास नाकेबंदी किया गया, जहां सुबह करीब 08.30 बजे एक बिना नम्बर CT 100 मोटर सायकल पर एक युवक मोटर सायकल के पीछे बोरी में कुछ लाता दिखा जिसे मुखबिर सूचना पर रोककर पूछताछ किया गया। युवक अपना नाम बशिष्ठ थुरिया पिता रंजीत थुरिया उम्र 20 वर्ष निवासी शांति नगर चौकी कनकबीरा थाना सारांगढ़ का बताया जिसके मोटर सायकल के पीछे बोरी अंदर प्लास्टिक में करीब 40 लीटर महुआ शराब कीमती ₹8,000 का रखा हुआ मिला। युवक अवेध शराब को विक्री के लिए लेकर जाना बताया। आरोपी बशिष्ठ थुरिया से परिवहन में प्रयुक्त बजाज CT 100 बिना नंबर कीमत ₹28,000 का जब्त कर आरोपी पर आवकारी एकट की धारा 34(2),59(क) के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।



**अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान परियोजना में अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत ग्राम मल्दा (अ) में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित**

रायगढ़। अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान परियोजना में अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला जिसमें मसाला फसलों पर प्रशिक्षण एवं वर्मी कम्पोस्ट, हल्दी प्रकंद व सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण सारांगढ़ विकास खण्ड के ग्राम मल्दा (अ) के सरपंच मीणा लहरे एवं जनपट पंचायत सदस्य संतोष भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान परियोजना के प्रमुख अन्वेषक व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अधिष्ठाता डॉ.ए.के.सिंह ने मसाला फसलों की उपयोगिता एवं उनके लाभ-हानि, उनका कास्त तकनीकी जानकारी दिये। जी.आर. राठिया सहायक प्राध्यापक (मुद्रा विज्ञान) ने मसाला फसलों में उर्वरक प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन एवं जैविक खेती विषय पर जानकारी दी। डॉ.श्रीकांत सावरगांवकर, वैज्ञानिक(अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन)ने हल्दी के प्रजातियों एवं उत्पादन तकनीक



एवं मसाला फसलों की संभावना के विषय में तकनीकी जानकारी दियो। ग्राम मल्दा (अ) और ग्राम मल्दा (ब) दोनों गांवों को मिलाकर कुल 55 कृषकों ने प्रशिक्षण एवं रकबे को बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ हल्दी-01 एवं छत्तीसगढ़ हल्दी-02 के प्रकंद सूक्ष्म पोषक तत्व एवं गोधन न्याय योजना से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का



100 किंवटल, हल्दी प्रकंद 16.5 किंवटल और सूक्ष्म पोषक तत्व 50 किलोग्राम का वितरण किया गया। कृषकों को अधिक से अधिक बीजोत्पादन कर मसाला फसलों के रकबे को बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण व तकनीकी ज्ञान दिया गया। जिससे कृषक संबल व लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम में डॉ.खुबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित

कृषक विजय यादव भी उपस्थित होकर अपना अनुभव साझा किया। मंच संचालन एवं कार्यक्रम के आयोजन में विक्रम पटेल ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सारांगढ़ का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में लोकनाथ मैत्री, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सारांगढ़ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

**70 साल की बुजुर्ग से दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार**

जशपुर (आरएनएस)। जशपुर जिले में 70 साल की बुजुर्ग महिला से एक 26 साल का युवक द्वारा बालात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद युवक फरार हो गया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।



मिली जानकारी के अनुसार मामला पथलगांव थाना क्षेत्र का है। महिला ने 24 मार्च को इस मामले में शिकायत की थी। महिला ने बताया कि 24 मार्च की रात वह घर पर अकेली थी। उसी वक्त सुकबासुपारा करंगाबहला निवासी राजकुमार एक्का(26) उसके घर में जबदस्ती घुस आया और पहले तो उसने गालियां दी फिर जबदस्ती करने लगा। महिला ने बताया कि उसने राजकुमार को रोकने की खूब कोशिश की। मगर उसने एक नहीं सुनी। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी भाग गया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी तथा फरार आरोपी राजकुमार की तलाश की जा रही थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि युवक अपने घर आया हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

**स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 106 विद्यालयों में 358 पदों का अंतरण**

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से 106 ऐसे विद्यालय जहां काफी संख्या में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन द्वारा शिक्षकों के 358 पदों के अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी माध्यम के शिक्षकों के लिए अंतरित किए जाने वाले इन पदों पर संविदा नियुक्ति अथवा सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, अपितु प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा



जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से 39 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही अध्ययन कर रहे हैं। 26 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें हिन्दी माध्यम के



विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, परन्तु उनकी संख्या बेहद कम है। प्रदेश में संचालित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में से 106 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर काफी संख्या में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऐसे विद्यालयों से पदों का अंतरण इन विद्यालयों में किया जा रहा है, जहां अध्ययनरत विद्यार्थी आवश्यकता की तुलना में योंय शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव एवं मांग के अनुसार इन 106 विद्यालयों में 358 पदों का अंतरण शासन द्वारा किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को यथावत रखने की बाध्यता नहीं है। उत्कृष्ट विद्यालय के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस बात का परीक्षण कर लिया जाए कि इन स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ शिक्षक इन उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। शिक्षक उपयुक्त पाये जाने पर यदि संबंधित विद्यालय की समिति ऐसे शिक्षकों को वहां प्रतिनियुक्ति पर रखना चाहे और ये शिक्षक स्वयं उस विद्यालय में सेवाएं देना चाहें तो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रखने की अनुमति दी जा सकती है। अन्यथा स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य संस्थाओं से भी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हिन्दी माध्यम के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पदस्थापना का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजा जा सकेगा।